

दिनांक: 11 जनवरी, 2023

कोयले की बिक्री के लिए कोयला/लिग्नाइट खानों की नीलामी

[कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी का 16वां दौर]
[खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत नीलामी का छठा दौर]

और

[दूसरा प्रयास-कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी का 15वां
दौर]

[दूसरा प्रयास-खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत नीलामी
का 5वां दौर]

नोटिस

संभावित बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वाणिज्यिक खनन के लिए कोयले/लिग्नाइट खानों की नीलामी के छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास की समय-सीमा को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है।

2. संभावित बोलीदाताओं की सूचना के लिए संशोधित समय-सीमा के साथ विस्तृत शेड्यूल शीघ्र अपलोड किया जाएगा।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का कार्यालय